

न्यायालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर मण्डल

मण्डलेश्वर, दिनांक 10.08.2020

// सूचना //

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकट में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक बी/2925, जबलपुर दिनांक 07.08.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्रमांक _____/लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 10.08.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्रमांक डी/2377, दिनांक 27.06.2020, वयू/12 दिनांकित 04.05.20 एवं अन्य सर्कुलरस एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 10.08.20 से दिनांक 14.08.20 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांको को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरणों जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	10.08.2020	23.09.2020	23.09.2020
2.	11.08.2020	24.09.2020	24.09.2020
3.	13.08.2020	25.09.2020	25.09.2020
4.	14.08.2020	28.09.2020	28.09.2020

(प्रो. अरुण पांडेय)
सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

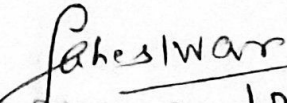
न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर.

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक B/2935 दिनांक 07-08-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी सी के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 10.08.2020 से 15.08.2020 तक इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क्र.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	10.08.2020	21.09.2020
2.	11.08.2020	
3.	13.08.2020	
4.	14.08.2020	
5.	15.08.2020 स्वतंत्रता दिवस अवकाश	

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हों।


वास्ति- विशेष न्यायाधीश, 10/8/2020
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

**न्यायालय :- श्री अरुण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)**

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क. बी/2935 जबलपुर दिनांक 07.08.2020 एवं सर्कुलर क. डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 तथा सर्कुलर क्रमांक क्यू 12 दिनांक 04.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 14.08.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **10.08.2020 से 14.08.2020 तक इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	10.08.2020	12.10.2020
2.	11.08.2020	13.10.2020
3.	13.08.2020	14.10.2020
4.	14.08.2020	15.10.2020


(अरुण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)
अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर

